

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No : 155612170819061731

Date : 17-08-2019

प्रभावी : 3 2018-2019

श्री/श्रीमती/सुश्री : MADHURI DEVI C/O OMKAR SINGH,

मोहल्ला : BARAMURI, NEAR KHATAL B-POLYTECHNIC ROAD DHANBAD DHANBAD

DHANBAD , 826001

8540959999

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0200000009000M0 वर्ड सं. 20 हुआ है. आपको स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	222.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		222.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, www.jharkhandmunicipal.net पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पत्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करददाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय धुति का निर्दिष्ट समाप्तार्थि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एत की गठे घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य शकत पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शरित (Fine) एवं अतिर राशि देय होगा।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संयहित इस सम्पत्ति कर इन इमारती/दाघों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / देखलकर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नती का आरिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print